तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म से में जारी हुए
25/6/19	पत्रावली आज पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित तहसीलदार बेगूँ द्वारा पत्रावली में फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई पत्रावली आइन्दा वास्ते बहस बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.7.19 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
16/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा है अवसर दिया गया। पत्रावली अब दिनांक 5/8/19 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
5/8/19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी हाजिर। पत्रावली में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 14/8/19 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
14/8/19	पत्रावली पेश हुई। वादी का वाद प्रारंभिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार बेगूं की फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार कर वाद को अंतिम डिक्री कीया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली मौबाल शुमार होकर नंबर से कम हो (हस्ताक्षर) 14.8.19 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	33/ 26/8/19 से प्रति दिलवाई

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 06/2018

1. जगदीश पिता नाराण जाति धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
2. कमलाबाई पिता नाराण जाति धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
3. सोहनीबाई पिता नाराण जाति धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ

..............वादीगण

बनाम

1. प्रकाश पिता भंवरलाल धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
2. सुगनाबाई पिता भंवरलाल धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
3. सोहनीबाई पिता भंवरलाल धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
4. रामेश्वरलाल पिता दौलतराम धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
5. धापुबाई पति दौलतराम धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
6. शाखा प्रबन्धक महोदय भूमि विकास बैंक चित्तौड़गढ शाखा बेगूँ
7. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय बेगूँ
8. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चित्तौडगढ राज.

.................प्रतिवादीगण

उपस्थित : के.सी.धाकड़
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक : 14.08.2019

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वाद पत्र वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी. धाकड़ द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है : यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि आराजियात ग्राम रायता पटवार हल्का रायता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ में स्थित है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जिसकी तफसील निम्न प्रकार है:

खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा
88(80)	616	0.2260
	630	0.1050
	631	0.1050
	632	0.1210
	635	0.4450
	636	0.3410
	641	0.2180
	642	0.2180
	643	0.3320
कुल	किता 9	रकबा 2.1110

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई बन्ध एवं एक ही परिवार के सदस्य है वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमि पुश्तैनी आराजियात है तथा उक्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति के आधार पर हिस्से अनुसार बटवाडा कर मौके पर अलग अलग बुवाई कर रहे है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या एक में अंकित आराजी जिसके खाता संख्या 88 है मे अंकित आराजियात में आराजी संख्या 616, 630, 631, 632, 635, 636, 641, 642, 643 में वादी संख्या 1 का 4/9 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/9 हिस्सा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) (चित्तौडगढ)

Scanned by CamScanner

निहित (अर्थात सभी वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित) है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/6 हिस्सा निहित है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का भूमि पर आपसी रजामंदी से मौके पर तो अलग–अलग कब्जा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादपत्र में अंकित उक्त समस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व में चली आ रही है। इस कारण से प्रत्येक खातेदार को भूमि पर ऋण लेने में दिक्कत आती है भूमि का लगान अदा करने में भी एवं भूमि का अपनी इच्छानुसार विकास कराने में भी सहखातेदारान में हमेशा विवाद होता रहता है तथा अपने अपने हिस्से की आराजियात पर टैक्टर, बैल गाडी लाने ले जाने में परेशानी होती है इस कारण वादीगण ने सभीखातेदारन प्रतिवादीगण को दिनांक 20.12.2017 को तहसील में चलकर भूमि का राजस्व तथा भूमि का विभाजन करने में आना कानी की तथा भौतिक रूप से विभाजन किये जाने के लिए भी इन्कार किया है इस कारण वादीगण को अपने हिस्से का विभाजन कराने के लिए यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं।

यह कि वाद कारण दिनांक 20.12.2017 को वादीगण ने सभी खातेदारान प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति से तहसील में चलकर राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अनुसार विभाजन करा वादीगण का 2/3 हिस्सा पृथक रूप से दर्ज कराये जाने एवं हक हिस्से की आराजी में आने जाने के लिए रास्ता रेकार्ड में अंकित कराने बाबत् कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है :

1. कि मौजा रायता पटवार हल्का रायता तहसील बेगूँ की उक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजी संख्या 616, 630, 631, 632, 635, 636, 641, 642, 643 जो संयुक्त खातेदारी की आराजियात का मिट्स एण्ड बाउंड्स के आधार पर वादी संख्या 1 का 4/9 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा एवं वादी संख्या 3 का 1/9 हिस्सा (अर्थात वादीगण का सम्पूर्ण 2/3 हिस्सा) विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करायी जावे।
2. कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में भी पृथक (अलग) रूप से खाता वादीगण के नाम दर्ज कराये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे।
3. कि वादीगण को विभाजन में प्राप्त होने वाली आराजियात पर टैक्टर , बेलगाडी, बैल आदि लाने व ले जाने के लिए रास्ते के रूप में भूमि का अंकन नक्शे में भी किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।
4. कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो वो भी प्रदान कराया जावे।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया गया। प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। इस दौरान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त निर्देशों की पालना में पत्रावली को दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प रायता पर सुनवायी हेतु रखायी गयी। पत्रावली में सभी पक्षकारान के उपस्थित आने से पत्रावली में सुनवाई की जाकर वादपत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया गया :

" अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर लोक भावना से सुनवायी करते हुए आपसी सहमति से दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार बेगूँ को 1000/ रू फीस पर मोका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात मे से मोजा रायता पटवार हल्का रायता तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 616 रकबा 0.2260 हे0 आराजी संख्या 630 रकबा 0.1050 हे0 आराजी संख्या 631 रकबा 0.1050 हे0 आराजी संख्या 632 रकबा 0.1210 हे0 आराजी संख्या 635 रकबा 0.4450 हे0 आराजी संख्या 636 रकबा 0.3410 हे0 आराजी 641 रकबा 0.2180 हे0 आराजी संख्या 642 रकबा 0.2180 हे0 आराजी संख्या 643 रकबा 0.3320 हे0 कुल किता 9 रकबा 2.1110 हे भूमि में वादी संख्या 1 का 4/9 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/9 हिसा एवं वादी संख्या 3 का 1/9 हिस्सा भूमि का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किया जाकर फर्द बटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दो प्रति में आईन्दा पेशी पुर्व पेश की जावे । शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार बदस्तुर रहेगा । पत्राावली पालना में दिनांक 26/06/2018 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री पृथक से तैयार की जाकर जारी हो। प्रति तहसीलदार बेगूँ के जरिये भू0अ0नि0 को दी जावे । पत्रावली दिनांक 26.06.2018 को पेश हो।''

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बेगूँ को पालना हेतु पत्र जारी किया गया जिसकी पालना में उनके पत्रांक 578 दिनांक 14.06.2019 को फर्द बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त फर्द बटवाडा रिपोर्ट पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। बहस सुनी गयी। बहस में वादी अधिवक्ता उपस्थित आए जिन्होने बताया कि वह उक्त फर्द बटवाडा रिपोर्ट से सहमत है एवं मुताबिक फर्द बटवाडा रिपोर्ट वादपत्र अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयीं। पत्रावली एवं प्रस्तुत फर्द बटवाडा रिपोर्ट का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। फर्द बटवाडा रिपोर्ट पत्रावली में जारी प्राथमिक डिक्री के मुताबिक होने से वाद पत्र को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः वादपत्र वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक फर्द बटवाडा रिपोर्ट वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य हिस्सा पृथक–पृथक कर खाता निम्न प्रकार से राजस्व रेकार्ड दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है :–

1. जगदीश पिता नाराण 2/3 कमला बाई सोहनी बाई पिता नाराण 1/3 खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
616	0.2260	7.71
630	0.1050	4.56
632	0.1210	5.26
635	0.4450	18.99
641	0.2100	9.120
642	0.2100	9.12
643 मे से	0.0400	1.73
कुल किता 7	1.3570 हे0	56.49 रू.

2. प्रकाश शुगनाबाई पिता भंवरलाल सोहनीबाई स्व0 पति भंवरलाल 1/2 रामेश्वर पिता दौलतराम धापूबाई स्व0 पति दौलतराम 1/2 धाकड साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
631	0.1050	4.56
636	0.3410	13.95
643	0.2720	11.82
किता 3	0.7180 हे0	30.33 रू.

3. जगदीश पिता नाराण कमलाबाई सोहनबाई पिता नाराण प्रकाश शुगनाबाई पिता भंवरलाल सोहनी बाई स्व0 पति भंवरलाल रामेश्वर पिता दौलतराम धापूबाई स्व0 पति दौलतराम धाकड साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
641 में से	0.0080	रास्ता
442 में से	0.0080	रास्ता
643 में से	0.0200	रास्ता
कुल किता 3	0.0360 हे0	–

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आराजी का अंकन राजस्व रेकार्ड में किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

14/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 06/2018

1. जगदीश पिता नाराण जाति धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
2. कमलाबाई पिता नाराण जाति धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
3. सोहनीबाई पिता नाराण जाति धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ

..............वादीगण

बनाम

1. प्रकाश पिता भंवरलाल धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
2. सुगनाबाई पिता भंवरलाल धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
3. सोहनीबाई पिता भंवरलाल धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
4. रामेश्वरलाल पिता दौलतराम धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
5. धापुबाई पति दौलतराम धाकड निवासी रायता तहसील बेगूँ
6. शाखा प्रबन्धक महोदय भूमि विकास बैंक चित्तौड़गढ शाखा बेगूँ
7. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय बेगूँ
8. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चित्तौडगढ राज॰

.................प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी. धाकड़ की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी. एक्ट में आज दिनांक 14.08.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :–

अतः वादपत्र वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक फर्द बटवाडा रिपोर्ट वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य मौजा रायता प.ह. रायता की आराजी का हिस्सा पृथक–पृथक कर खाता निम्न प्रकार से राजस्व रेकार्ड दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है :–

1. जगदीश पिता नाराण 2/3 कमला बाई सोहनी बाई पिता नाराण 1/3 खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
616	0.2260	7.71
630	0.1050	4.56
632	0.1210	5.26
635	0.4450	18.99
641	0.2100	9.120
642	0.2100	9.12
643 मे से	0.0400	1.73
कुल किता 7	1.3570 हे0	56.49 रू.

2. प्रकाश शुगनाबाई पिता भंवरलाल सोहनीबाई स्व0 पति भंवरलाल 1/2 रामेश्वर पिता दौलतराम धापूबाई स्व0 पति दौलतराम 1/2 धाकड साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
631	0.1050	4.56
636	0.3410	13.95
643	0.2720	11.82
किता 3	0.7180 हे0	30.33 रू.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

3. जगदीश पिता नाराण कमलाबाई सोहनवाई पिता नाराण प्रकाश शुगनाबाई पिता भंवरलाल सोहनी बाई स्व0 पति भंवरलाल रामेश्वर पिता दौलतराम धापूबाई स्व0 पति दौलतराम धाकड साकिन देह खातेदार के खाते में

आराजी संख्या	रकबा	लगान
641 में से	0.0080	रास्ता
442 में से	0.0080	रास्ता
643 में से	0.0200	रास्ता
कुल किता 3	0.0360 हे0	—

अंतिम डिकी आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

14/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूं को पालनार्थ प्रस्तुत है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner